

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 328

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
उप श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर/मधुबनी/पश्चिम चम्पारण, बेतिया/मुंगेर/ /पटना/नालन्दा/खगड़िया/
जमुई/औरंगाबाद/नवादा/समस्तीपुर/सिवान एवं दरभंगा।

पटना, दिनांक- 20/01/26

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्लापसी पर व्यय, विपत्र कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) एवं विपत्र कोड-26-2230017890103 (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत CFMS 2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

2. सामान्य कोटि (विपत्र कोड-26-2230011140102) के मृत प्रवासी श्रमिकों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रुपये ₹ 1,00,000/-मात्र एवं रुपये ₹ 2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 स0	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (₹0)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	बक्सर	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, बक्सर के ज्ञापांक-1032, दिनांक-15.12.2025 के आलोक में। (1.) मृतक-स्व0 मोहित कुमार यादव, पिता-शिव शंकर सिंह, आश्रित-मीरा देवी (माता), ग्राम-नावाडेरा, पोस्ट-पुराना भोजपुर, थाना-प्र०-डुमरौव, जिला-बक्सर।
		01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, बक्सर के ज्ञापांक-1033, दिनांक- 15.12.2025 के आलोक में। (2.) मृतक-स्व0 बिरेन्द्र कुमार चौधरी, पिता-स्व0 सिपाही चौधरी, आश्रित-शंकुतला देवी (पत्नी), ग्राम-बाजार समिति रोड, पोस्ट-मुसाफिरगंज, थाना-नगर बक्सर, प्रखंड-बक्सर सदर, जिला-बक्सर।

2	मधुबनी	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक-1338, दिनांक-15.12.2025 के आलोक में। (1.) आवेदिका-अमृती देवी (पत्नी), मृतक-स्व० भोलट यादव, ग्राम-बेला दौरा, वार्ड नं०-2, पंचायत+पोस्ट-बेला, थाना+प्र०-बाबूबरही, जिला-मधुबनी।
		01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक-1316, दिनांक-12.12.2025 के आलोक में। (2.) आवेदिका-सहेलिया देवी (पत्नी), मृतक-स्व० राजेन्द्र मंडल, ग्राम+पोस्ट-यूनियन टोला, वार्ड नं०-3, थाना+प्र०-जयनगर, जिला-मधुबनी।
3	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक-2099, दिनांक-30.12.2025 के आलोक में। (1.) मृतक-स्व० फिरोज अंसारी, आश्रित-कमरून नेशा (पत्नी), ग्राम-नदगाँवा, वार्ड नं०-13, पोस्ट-डुमरिया, थाना+प्रखंड-रामनगर, जिला-पश्चिम चम्पारण।
		01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक-3000, दिनांक-30.12.2025 के आलोक में। (2.) मृतक-स्व० रविन्द्र कुमार, आश्रित-छोटे लाल चौधरी (पिता), ग्राम-बनकटवा, वार्ड नं०-21, पोस्ट+थाना-बगहा, प्रखंड-बगहा-01, जिला-पश्चिम चम्पारण।
		01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक-3001, दिनांक-30.12.2025 के आलोक में। (3.) मृतक-स्व० ओम प्रकाश पटेल, आश्रित-उमा देवी (माता), ग्राम-डीही, वार्ड नं०-12, पोस्ट+थाना-धनहा, प्रखंड-मधुबनी, जिला-पश्चिम चम्पारण।
4	मुंगेर	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक-2287, दिनांक-15.12.2025 के आलोक में। (1.) मृतक-स्व० मो० यू अली उर्फ मो० अख्तर, आश्रित-सोनम प्रवीण (पत्नी), ग्राम-बाकरपुर, पोस्ट-दरियापुर, थाना-मुफसिल, प्रखंड-सदर मुंगेर, जिला-मुंगेर।
5	सिवान	01	2,00,000/-	श्रम अधीक्षक, सिवान के पत्रांक-1360, दिनांक-26.12.2025 के आलोक में। (1.) मृतक-स्व० विकास कुमार, पिता-प्रभुनाथ प्रसाद, आश्रित-संध्या देवी (पत्नी), ग्राम-ओरमा उत्तर टोला, पोस्ट-हकाम, थाना-सिवान मुफसिल, प्रखंड-सिवान सदर, जिला-सिवान।
		01	2,00,000/-	श्रम अधीक्षक, सिवान के पत्रांक-1362, दिनांक-26.12.2025 के आलोक में। (2.) मृतक-स्व० विकास कुमार उर्फ विकास कुमार सिंह, आश्रित-हरेराम सिंह उर्फ हरिराम सिंह (पिता), ग्राम-साईपुर, पोस्ट-ग्यासपुर, थाना+प्रखंड-सिसवन, जिला-सिवान।
		01	2,00,000/-	श्रम अधीक्षक, सिवान के पत्रांक-1363, दिनांक-26.12.2025 के आलोक में। (3.) मृतक-स्व० अभिषेक कुमार गिरी, पिता-सुभाष गिरी, आश्रित-सीता देवी (पत्नी), ग्राम-कोडरा, पोस्ट-विशुनपुरा, थाना+प्रखंड-मैरवा, जिला-सिवान।

6	पटना	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पटना के ज्ञापांक-5535, दिनांक-29.12.2025 के आलोक में। (1) आवेदिका-कामनी देवी (पत्नी), मृतक-स्व0 मुकेश कुमार, ग्राम-छोटकीमठ, बहरामपुर, पोस्ट- पधनरूआ, प्रखंड-धनरूआ, जिला-पटना।
7	नालन्दा	01	2,00,000/-	अपर समाहर्ता, नालन्दा के ज्ञापांक-1836, दिनांक-09.12.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 प्रकाश राम, पिता-स्व0 किशोरी राम, आश्रित-पूनम देवी (पत्नी), ग्राम-बाँसडीह, पोस्ट-हब्बीपुर, पंचायत-अरपा, प्रखंड-हिलसा, जिला-नालन्दा।
8	खगड़िया	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक-950, दिनांक-19.09.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 पंचानंद मंडल, पिता-कैलाश मंडल, आश्रित-मसो0 रिंकु देवी (पत्नी), ग्राम-बहादुरपुर, पो0+था0+प्र0-गोगरी, जिला -खगड़िया।
		01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक-949, दिनांक-19.09.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व0 मुकेश कुमार, पिता-कैलाश मंडल, आश्रित-मसो0 बबीता देवी (पत्नी), ग्राम-बहादुरपुर, पो0+था0+प्र0-गोगरी, जिला -खगड़िया।

3. अनुसूचित जाति (विपत्र कोड-26-2230017890103) के मृत प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रू० 1,00,000/-मात्र एवं रू० 2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० स०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	प्रस्तावित राशि (रू०)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	बक्सर	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, बक्सर के ज्ञापांक-1031, दिनांक-15.12.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 मनबोध कुमार, पिता-दिनेश कुमार राम, आश्रित-सिता देवी (माता), ग्राम+पोस्ट-सोवाँ, थाना-कृष्णाबद्ध, प्रखंड-डुमराँव, जिला-बक्सर।
2	जमुई	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक-959, दिनांक-04.12.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 सूरज कुमार, आश्रित-तम्बुजा कुमारी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-केशोपुर, था0+प्र0-झाझा, जिला-जमुई।
3	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक-2097, दिनांक-30.12.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 काशी राम, आश्रित-सीमा देवी (पत्नी), ग्राम-शिवराजपुर, वार्ड नं०-05, पोस्ट-पाडरखाप, थाना-भैरोगंज, प्रखंड-बगहा, जिला-पश्चिम चम्पारण।

		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक-2098, दिनांक-30.12.2025 के आलोक में। (2.) मृतक-स्व0 ओम प्रकाश राम, आश्रित-प्रभा देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-नरईपुर, थाना+प्रखंड-बगहा-02, जिला-पश्चिम चम्पारण।
4	औरंगाबाद	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के ज्ञापांक-1223, दिनांक-20.12.2025 के आलोक में। मृतक-स्व0 बबन बहेलिया, पिता-राघो बहेलिया, आश्रित-श्रीमती गीता देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-पवई, थाना-मुफ्फसील, प्रखंड-देव, जिला-औरंगाबाद।
5	नवादा	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, नवादा के ज्ञापांक-1450, दिनांक-23.12.2025 के आलोक में। मृतक-स्व0 साहेब चौधरी, पिता-नारायण चौधरी, आश्रित-गायत्री देवी (पत्नी), ग्राम-कानूनगो बिगहा, पोस्ट-अंकरी, थाना-नरहट, प्रखंड-मेसकौर, जिला-नवादा।
6	समस्तीपुर	01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-2448, दिनांक-23.12.2025 के आलोक में। 1. मृतक-स्व0 अरविन्द कुमार पासवान, आश्रित-युगेश्वर पासवान (पिता), गा०+पो०-भगवतपुर, था०+प्र०- सरायरंजन, जिला-समस्तीपुर।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-2449, दिनांक-23.12.2025 के आलोक में। 2. मृतक-स्व0 विपिन कुमार, पिता-विनोद राम, आश्रित-रीना देवी (माता), गा०+पो०+पं०-दिघरा, था०+प्र०-पुसा, जिला-समस्तीपुर।
7	*सिवान	01	2,00,000 / -	श्रम अधीक्षक, सिवान के पत्रांक-1361, दिनांक-26.12.2025 के आलोक में। मृतक-स्व0 सोनु कुमार साह, पिता-कृष्ण साह, आश्रित-रानी देवी (पत्नी), गा०+पो०+था०-चैनपुर, प्रखंड-सिसवन, जिला-सिवान।
8	दरभंगा	01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक-3449, दिनांक-17.12.2025 के आलोक में। 1. आवेदिका-रंजु देवी (पत्नी), मृतक-स्व0 राम खेलन सदा, ग्राम-देथुआ झोह, गनौन, थाना-घनश्यामपुर, जिला-दरभंगा।
		01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक-3450, दिनांक-17.12.2025 के आलोक में। 2. आवेदिका-अंजु कुमारी (पत्नी), मृतक-स्व0 बबू चौपाल, ग्राम-रामबाड़ी, पोस्ट-बेरी, थाना+प्रखंड -कुशेश्वरस्थान, जिला-दरभंगा।
9	खगड़िया	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक-02, दिनांक-01.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 संजय ताँती, पिता-शिव बालक ताँती, आश्रित-मसो0 सीता देवी (पत्नी), ग्राम+पोस्ट-रानी सकरपुरा, थाना- गंगौर, प्रखण्ड+जिला-खगड़िया।

		01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक-01, दिनांक-01.01.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व0 रुबल कुमार, पिता-श्री प्रमोद रजक, आश्रित-श्री प्रमोद रजक (पिता), ग्राम-खडगपुर, पोस्ट-कबेला, थाना+ प्रखण्ड-परवता, जिला-खगड़िया।
--	--	----	------------	--

- यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2254, दिनांक-02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि 2,00,000/- (दो लाख) मात्र एवं 1,00,000/- (एक लाख) मात्र प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से, उनके वैध आश्रित को भुगतान हेतु, आवंटित की गयी है।
- अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
- अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो वह अनियमित होगा।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में, आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ, निकासी के उपरांत, अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान **RTGS (Real Time Gross Settlement)** पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि को, नियमानुसार जाँच कर, उन्हीं मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
- श्रमायुक्त, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह/०

(मनीष कुमार)

उप श्रमायुक्त।

ज्ञापांक: 6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 328

पटना, दिनांक- 20-01-26

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-सह-वरीय प्रभारी प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

Signed by Manish Kumar

Date: 19-01-2026 11:26:02

(मनीष कुमार)

उप श्रमायुक्त।